रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-17122022-241185 CG-DL-E-17122022-241185

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5656] No. 5656] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 16, 2022/अग्रहायण 25, 1944 NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 16, 2022/AGRAHAYANA 25, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 दिसम्बर, 2022

का.आ. 5892(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चा उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत पंक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात की महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 548डी के कि.मी. 204.500 से कि.मी. 208.775 (मोहा से सौताडा दो लेन पेव्हड शोल्डर बनाने, चार लेन व्यवस्था का निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रोयोजन के लिए भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे दी गई अनुसूची में दिए गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है:

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा ३ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा:

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम अधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, पाटोदा को लिखित रूप में किया जायेगा और उसमे आधार अधिकथित किये जायेंगे और सक्षम अधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात तथा ऐसी और जांच करने क पश्चात, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्रधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा;

8324 GI/2022 (1)

उक्त अधिनियम की धारा ३ग की उपधारा(1) के अधीन सक्षम अधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा ; और इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भुरेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकरी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध है और हितबद्ध व्यक्तियो द्वारा निरिक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले में कि. मी. 204.500 से 208.775 (मोहा से पाटोदा) राष्ट्रीय राजमार्गजामखेड -सौताडा संख्या क्र. 548 डी के निर्माण (चौड़ा करने दो लेन और पेवड शोल्डर/ चौपदरी बनाने आदि) अनुरक्षण प्रबंध और प्रचालन के लिए उक्त अनुसूची।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र जिले का नाम: बीड									
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल					
				(स्थानीय इकाई)	(हक्टयर)				
तालुक का नाम: पाटोदा									
गांव का नाम: सौताडा									
1	255	निजी	कृषी	0.0670000 (हेक्टेयर)	0.0670000				
2	265	निजी	कृषी	0.0030000 (हेक्टेयर)	0.0030000				
3	266	निजी	कृषी	0.2040000 (हेक्टेयर)	0.2040000				
4	267	निजी	कृषी	0.2550000 (हेक्टेयर)	0.2550000				
5	278	निजी	कृषी	0.0950000 (हेक्टेयर)	0.0950000				
6	279	निजी	कृषी	0.1950000 (हेक्टेयर)	0.1950000				
	0.8190								

[फा. सं. NH-12014/62/2021-22-MAH(Z-4/3A]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 16th December, 2022

S.O. 5892(E).—In exercise of the power conferred by sub-section(1) of section 3A of the National Highways Act,1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below is required for building (Upgradation and reconstruction Two/Four-Laning etc.) maintenance, management and operation of National Highway No. 548D in the stretch of land from Km. 204.500 to Km. 208.775 (Starting From Moha to Sautada) in Patoda Taluka and District Beed in the State of Maharashtra.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Subdivisional Officer, Patoda in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making

such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km. 204.500 to 208.775 (Moha to Sautada) of Upgradation/Reconstruction to two lanes with paved shoulder/Four lane configuration Jamkhed to Sautada road NH - 548 D in the State of Maharashtra, hereby declares intention to acquire such land for Ahmednagar District.

State: MAHARASHTRA		District: BEED							
Sl. No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area				
	D			(III Local Ullit)	(III Hectare)				
Taluk: Patoda									
Village: Sautada									
1	255	Private	Agriculture	0.0670000 (Hectare)	0.0670000				
2	265	Private	Agriculture	0.0030000 (Hectare)	0.0030000				
3	266	Private	Agriculture	0.2040000 (Hectare)	0.2040000				
4	267	Private	Agriculture	0.2550000 (Hectare)	0.2550000				
5	278	Private	Agriculture	0.0950000 (Hectare)	0.0950000				
6	279	Private	Agriculture	0.1950000 (Hectare)	0.1950000				
Total 0.8190									

[F. No. NH-12014/62/2021-22-MAH(Z-4/3A]

RAJESH GUPTA, Director